म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 128 दिनांक 17/1/24

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2023–24

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 188 वीं सभा की बैठक दिनांक 20/12/2023 में लिये गये निर्णय के अनुकम में डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा संचालित विभाग एल.एस. फार्मेसी कॉलेज के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की कार्योत्तर एवं प्रावधिक अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

क्र.	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (9 बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबधित विनियामक परिषद् का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Faculty of Pharmacy	Diploma in Pharmacy	-	60	60	PCI-6145 Date – 24/05/2023	55

शर्तें :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित परिषदों के मापण्दडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित परिषदों मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिशिचत किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/ऐजेंसियो के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

निरंतर...

कार्यालयः ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल – 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com वेबसाईट : mpnvva.in, फोन : 0755–2490322

Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal - 462016 (M.P.) Email: Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन........../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2023–24 **दिनांक /01/2024**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियमन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र. 132/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24 दिनांक 17/1/24

//आदेश//

प्रायोजी संस्था लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाऊण्डेशन ट्रस्ट, शिवपुरी द्वारा जिले में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव क्रं. 2020/12 दिनांक 08/03/2020 एवं अनुपालन प्रस्ताव 12.01.2021 में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के एकल मुख्य परिसर में संस्था द्वारा पूर्व से संचालित निजी महाविद्यालयों को भविष्य में विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई के रूप में सम्मिलित किए जाने का उल्लेख किया गया था।

डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी की स्थापना मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा हुई जिसकी अधिसूचना क्र. 91 दिनांक 22.02.2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पत्र एलएसईएफ/13 दिनांक 22.06.2023 एवं क्रमांक डीपीजीयु/12/ए दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित महाविद्यालयों को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई के रूप में मान्य करने हेतु आवश्यक प्रपत्र में राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं केन्द्र/राज्य की विभिन्न विनियामक परिषदों की अनुमति हेतु आवेदन की प्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्ध लक्ष्मण सेठ एज्यूकेशनल कॉलेज, करैरा शिवपुरी एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध लक्ष्मण सेठ फार्मेसी कॉलेज, ग्राम दिनारा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी में संचालित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असंबद्ध किया गया है। भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा लक्ष्मण सेठ फार्मेसी कॉलेज, शिवपुरी को एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज, शिवपुरी को फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एवं फिजिकल एजुकेशन में परिवर्तित करके डॉ प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी/सम्बंद्ध इकाई हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न सहपत्रों के परीक्षण हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक 2707/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल/अका-1/2023-24 दिनांक 03/11/2023 के द्वारा एक सदस्य समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अधिनियम की धारा 9(क)(ख) के अंतर्गत की गई जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(क)(3) में विनिर्दिष्ट प्रावधानांतर्गत तथा आयोग सभा की 188 वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 में निर्णय के अनुक्रम में डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी के मुख्य परिसर स्थित निम्नलिखित दो महाविद्यालयों को संघटक ईकाईयों के रूप में सशर्त एवं प्रावधिक रूप से मान्य किया जाता है:-

1. लक्ष्मण सेठ फार्मेसी कॉलेज, शिवपुरी
2. लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज, शिवपुरी

निरंतर....

कार्यालयः ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल - 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com वेबसाईट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal - 462016 (M.P.) Email: Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

उक्त महाविद्यालयों में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	संस्था का नाम	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (9 की अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद् का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1.	Laxman Seth Education College	Faculty of Education & Physical Education	Bachelor of Education (B.Ed.)	50	-	50	F.No. WRC/APP2597& APP 2700/B.Ed. & B.P.E.D./391st/M.P./2023/223892 Date-08.08.2023	32
			Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.)	100	-	100		36
2.	Laxman Seth Pharmacy College	Faculty of Pharmacy	Diploma in Pharmacy	60	-	60	PCI- 1200/2022 Date- 27.09.2023	55
			Bachelor in Pharmacy	100	-	100		56

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम की धारा 9(क) की उपधारा (1) से (4) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व उक्त महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र विद्यमान विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी बने रहेंगें।

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियामक परिषदों से नियमानुसार प्राप्त अनुमति के आधार पर प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जाएगा।

शर्तें :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों, के मापण्डडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापण्डडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।
4. पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित विनियामक परिषद की अनुमति प्रतिवर्ष नियमानुसार प्राप्त की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिशिचत किया जाना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
8. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/ऐजेंसियो के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
9. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

निरंतर...

10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(अध्यक्ष, महो. द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक

पृष्ठांकन................/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल
प्रतिलिपि :-

1. मान.अध्यक्ष महोदय, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मूल नस्ति।
3. गार्ड फाइल।

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल